सेवा में,

श्रीमान् प्रथम अपीलीय प्राधिकार
पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
केन्द्रीय कार्यालय
गुड़गांव

विषयः—सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपील
संदर्भ—PGCIL/R/2019/M-43 दिनांकः—11—09—2019(प्रतिसंलग्न)

महाशय,

निवेदन है कि आवेदक ने केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी पावरग्रिड से 20—08—2019(प्रतिसंलग्न) को सूचना मांगी थी , जिसके बाद केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने जो सूचना 11—09—2019 को भेजी है(प्रतिसंलग्न) उसके अनुल्गक—1 में उनका हस्ताक्षर एवं मोहर अंकित नहीं है, साथ ही मैंने जॉच समाप्त हो जाने के बाद संबंधित आवेदन की सत्यापित प्रति की मांग की थी, जो की आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि आवेदक को अनुल्गक—1 की सत्यापित प्रति एवं जॉच से संबंधित फाईल की सत्यापित प्रति उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

अगर मुझे सत्यापित प्रति उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो मैं केन्द्रीय सूचना आयोग में अपील करने को बाध्य हो जाऊँगा।

संग्लन

(1) मेरा आवेदन—20—08—2019 की छाया प्रति

(2) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा भेजा गया—11—09—2019 की सूचना की छाया प्रति।

विश्वासभाजन
कंचन कुमार 25-09-2019
कंचन कुमार

पत्राचार का पता
कंचन कुमार
ग्राम—अशोक नगर
पो0—नौलखी
भाया—मुरलीगंज
जिला—पूर्णियाँ
पिन नं0—852122
(बिहार)

Vigilance
4/10/2019

सेवा में,

श्री मान् केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
सतर्कता अनुभाग
पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
केन्द्रीय कार्यालय
गुड़गाँव

विषय - R.T.I 2005 के अन्तर्गत आवेदन

महाशय,

निवेदन है कि मैं पावरग्रिड में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली में किया था। जिसको केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने अपने पत्रांक 39546/2016 दिनांक 19-07-2016 को ही कार्रवाई के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी पावरग्रिड को भेजा था। लेकिन तीन वर्ष (03) से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी आज तक धरातल पर कोई भी कार्रवाई होता नजर नहीं आ रहा है।

अब ऐसा प्रतीत होता है, कि उस घोटाला की निष्पक्ष जाँच के लिए आवेदक को किसी स्वतंत्र जाँच एजेंसी से जाँच करवाने के लिए माननीय उच्च न्यायलय में याचिका दाखिल करना पड़ेगा।

अतः आपसे अनुरोध है, कि उस संबंध निम्न सूचनाएँ उपलब्ध करायें।

(1) जाँच समाप्त हो गई है, तो आवेदन से संबंधित फाइल की छायाप्रति उपलब्ध करायें।

मैं भारत का नागरिक हूँ तथा I.P.O — 20 रुपया का संलग्न कर भेज रहा हूँ। जिसकी सं० - 25G284538 है।

पत्राचार का पता
कंचन कुमार
ग्राम - अशोकनगर
पो० - नौलखी
थाना - मुरलीगंज
जिला - पूर्णियाँ
पिन - 852122
(बिहार)

विश्वासभाजन
कंचन कुमार
20-08-2019

पावर ग्रिड कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लाट नं.2, सैक्टर-29, गुड़गांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007

PGCIL/R/2019/M-43 — दिनांक: 11 सितम्बर, 2019

श्री कंचन कुमार
ग्राम – अशोक नगर, पोस्ट-नौलखी,भाया-मुरलीगंज, जिला-पूर्णियाँ
पिन – 852122, बिहार

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी ।

महोदय / महोदया ,

कृपया आर.टी.आई.अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 20 अगस्त, 2019 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें।

उपरोक्त पत्र में वांछित जानकारी अनुलग्नक-। में संलग्न है।

यदि आप केंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, केंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय कार्यालय, गुड़गांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री संजीव सिंह,
कार्यपालक निदेशक (सी.एम.जी.) एवं अपील प्राधिकारी
केंद्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
"सौदामिनी", प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुड़गांव-122001, हरियाणा
ईमेल आईडी: sanjeev@powergridindia.com
फोन नंबर: 0124-2571962

धन्यवाद,

भवदीय,

11/09/19
(जसबीर सिंह)
वरिष्ठ महाप्रबंधक (के.आ.) व के.लो.सू.अधिकारी
Email id: [illegible]@powergrid.co.in

अनुलग्नक-I

कृपया आर.टी.आई.अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 20 अगस्त, 2019 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें।

उपरोक्त संदर्भ में आपको अवगत कराया जाता है कि आपके द्वारा किये गये शिकायत को जांच के बाद, सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से बंद कर दिया गया है।

इस संदर्भ में आपको यह भी बताना चाहेंगे कि आपने पूर्व में कई बार सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किया है ! आपको यह भी सूचित किया जाता है कि इसी तरह के समरूप केस (CIC/SA/A/2015/001849) में केंद्रीय सूचना आयोग ने यह कहा है कि *"there is no merit in the second appeal filed by the appellant; the appellant has sufficiently used the RTI act for his self-interest, without any public interest for his personal vengeance against the public authority for denying him promotion/enhanced pay. Therefore, the commission admonishes the appellant for this misuse of RTI act just for the sake of vengeance forcing them to devote all their valuable time, energy etc".* अत: केंद्रीय सूचना आयोग के इस फैसले को देखते हुए आपके इस संदर्भ में सूचना के अधिकार के तहत भविष्य में की जाने वाली किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

-----x-------